

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक शीडर/2025/3661
प्राथीगण

दिनांक - 09/12/25

बनाम

अप्रार्थीगण

1. भगवानराम 2. मूलाराम पिसाराम
शोनाराम जाति जाट निवासी गरल
तहसील व जिला बाड़मेर।

1. गोविन्दसिंह पुत्र राणसिंह 2. उम्मेदसिंह पुत्र
जोरसिंह 3. जाति राजपूत निवासी केरलीनाडी,
हाजाणियों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण 3
तनसिंह पुत्र गेनसिंह 4. सुरतानसिंह पुत्र कगलसिंह 5
भवनसिंह पुत्र महेशसिंह जाति राजपूत निवासी
अचलसिंह का नगर गीठडा तहसील व जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 713/2025

दिनांक-02/12/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण गौजा अचलसिंह का नगर पटवार हल्का गीठडा तहसील व जिला बाड़मेर
के खेत खसारा संख्या 1640 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसारा संख्या 1641 रकबा 0.0405 हैक्टेयर,
खसारा संख्या 2186/1642 रकबा 5.9246 हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते
हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्यवाही करने से पूर्व प्राथीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते
हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत
राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में
नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र
निर्धारित की जाती है, जो प्राथीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक- 09/12/25

क्रमांक :- शीडर/2025/3662-65

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-
1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वकत पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
 2. पटवारी उपखण्ड तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर
नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
 3. प्राथीगण भगवानराम पुत्र शोनाराम जाति जाट निवासी गरल तहसील व जिला बाड़मेर।
 4. विप्रार्थीगण गोविन्दसिंह पुत्र राणसिंह जाति राजपूत निवासी केरलीनाडी, हाजाणियों की ढाणी तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर